(22)

CR 218583/15

कार्यालय लोकपाल, मनरेगा, प0 चम्पारण,बेतिया।
विकास भवन, समाहरणालय परिसर, बेतिया।

OSD (K. Sidharth)

पत्रांक 107 लोकपाल मनरेगा का0 दिनांक 17/08/15

21 AUG 2015

प्रेषक,

नवीना प्रसाद सिन्हा
लोकपाल (मनरेगा)
प0 चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार पटना ।

विषयः– **लोकपाल द्वारा निष्पादित परिवाद सं0 06/2015–16 के अवार्ड (अधिनिर्णय) से संबंधित।**

संदर्भः– **लोकपाल अनुदेश की कंडिका 8.1 (vii)**

महाशय

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि निर्देशानुसार लोकपाल द्वारा निर्गत अवार्ड की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोक्त

विश्वासभाजन
17.08.2015
लोकपाल, मनरेगा
प0 चम्पारण, बेतिया।

LAVIT
31/01/16

कार्यालय लोकपाल, मनरेगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
विकास भवन, समाहरणालय परिसर, बेतिया।

परिवाद संख्याः— 06/2015—16

शिकायतकर्त्ता का नाम एवं पताः— श्रीमती सुन्दरम देवी, पति— श्री राजेश्वर पटेल, ग्राम+पोस्ट— तौलाहा, पंचायत— तौलाहा, प्रखंड— रामनगर प0 चम्पारण।

शिकायत की विवरणीः— मनरेगा योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण में वनपोषक के रूप में कार्य करने के पश्चात् मजदूरी भुगतान नहीं होने के संबंध मे।

आरोपित पक्ष :—
(1) मुखिया, ग्राम पंचायत राज तौलाहा।
(2) तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत राज— तौलाहा।
(3) लेखापाल, प्रखंड— रामनगर।
(4) कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड— रामनगर।

परिवाद का सारांशः— परिवादी श्रीमती सुन्दरम देवी, पति— श्री राजेश्वर पटेल ने शिकायत पत्र दिया है कि योजना संख्या 07/2011—12 में उन्होंने 100 दिन लगातार वनपोषक का काम किया है, किंतु मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। परिवाद संख्या 06/2015—16 अंकित कर कार्यक्रम पदाधिकारी, रामनगर से जाँचकर प्रतिवेदन की माँग की गई।

विचारणीय बिन्दुः— क्या प्रतिवादीगण से मनरेगा के लिये किये गये कार्य के संबंध में कोई भुगतान देय है और क्या परिवादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारिणी है?

निष्कर्षः— कार्यक्रम पदाधिकारी, रामनगर को पत्रांक 34 दिनांक 22.05.2015 एवं पत्रांक 48 (A) दिनांक 08.06.2015 द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन की माँग की गई किंतु समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका। अन्ततः दिनांक 11.08.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी, रामनगर को सूचित किया गया कि परिवाद पर सुनवाई दिनांक 11.08.2015 को रामनगर मनरेगा कार्यालय में होंगी तथा अपने स्तर से निदेश दे कि पंचायत रोजगार सेवक अभिलेख के साथ रामनगर प्रखंड कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। सूचनानुसार अधोहस्ताक्षरी सुनवाई हेतु प्रखंड मनरेगा कार्यालय रामनगर पहुँचे तथा सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के समय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका, किंतु कार्यक्रम पदाधिकारी ने बतलाया कि उन्होंने संबंधित जाँच स्वयं की है तथा यह सही पाया गया है कि परिवादी ने बृक्षारोपण में 100 दिन योजना संख्या 07/2011—12 में वनपोषक का कार्य किया है, किंतु राशि के आभाव के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान की प्रक्रिया जारी है तथा शीघ्र ही उसका भुगतान कर दिया जायेगा। उन्होंने सम्पुष्ट किया कि 100 दिन का परिवादी का दावा सही है किंतु अभिलेख तत्काल उपलबध नहीं होने के कारण यह कहना कठिन है कि उसने कब से काम शुरू की तथा कब समाप्त हुआ। मनरेगा में मजदूरों के मजदूरी का भुगतान समय पर करना कानूनी बैधता है। मजदूरी का भुगतान मस्टर रॉल बंद होने के 15 दिन के अंदर किया जाना है, अन्यथा मजदूर मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4) के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने का हकदार होंगे।

पुनः ग्रामीण विकास विभाग पटना के पत्रांक 189382 दिनांक 24.06.2014 के अनुसार कार्य करने की अवधि समाप्ति के बाद 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिये। कार्यक्रम पदाधिकारी, रामनगर ने अपने पत्रांक 60 दिनांक 11.08.2015 द्वारा परिवादी के 100 दिन काम करने की पुष्टि की।

<u>पंचाट (अधिनिर्णय) :–</u> कार्यक्रम पदाधिकारी, रामनगर पत्रांक 60 दिनांक 11.08.2015 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर यह साबित होता है कि शिकायतकर्त्ता श्रीमती सुन्दरम देवी, पति– श्री राजेश्वर पटेल, ग्राम+पोस्ट– तौलाहा ने योजना संख्या 07/2011–12 में 100 दिन काम किया गया है। काम करने की अवधि समाप्ति यानि मस्टर रॉल बन्द होने के सोलहवें दिन से भुगतान की तिथि तक 0.05 प्रतिशत सूद के साथ भुगतान यथाशीघ्र कर दी जाय। साथ ही साथ योजना संख्या 07/2011–12 में जो अन्य मजदूर काम किये हैं तथा उन के भी मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हों सका है, इन्हें भी मस्टर रॉल बन्द होने की तिथि के सोलहवें दिन से भुगतान की तिथि तक सुसंगत प्रावधानों के अनुसार 0.05 प्रतिशत सूद के साथ भुगतान की जाय।

17.08.2015

(नगीना प्रसाद सिन्हा)
लोकपाल, मनरेगा
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

लेखापित एवं संशोधित

लोकपाल